रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 454] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 9, 2013/भाद्र 18, 1935
No. 454] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 9, 2013/BHADRA 18, 1935

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2013

सा.का.नि. 613(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, एतदद्वारा नागर विमानन मंत्रालय (नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो) में संयुक्त सुरक्षा आयुक्त, (नागर विमानन) के पद पर भर्ती के तरीके को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को नागर विमानन मंत्रालय (नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो) संयुक्त सुरक्षा आयुक्त, (नागर विमानन), समूह 'क', भर्ती नियम, 2013 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे-बैंड, ग्रेड-पे अथवा वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनके वर्गीकरण और उससे जुड़े हुए पे-बैंड, ग्रेड-पे अथवा वेतनमान कॉलम (2) से (4) में उल्लिखित इन नियमों की अनुसूची जो अनुबंधित है, में विनिर्दिष्ट दिए अनुसार होंगे।

3. **भर्ती का तरीका, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती के तरीके, आयु सीमा, अर्हताओं और इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—कोई भी ऐसा व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का करार किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों, अथवा

(ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह का करार किया हो—

उक्त पद पर भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु यह कि, यदि केन्द्र सरकार सहमत हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति, अथवा विवाह से संबंधित दूसरे पक्ष, पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमेय अनुमत है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, जो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट प्रदान करते हैं।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—यदि केन्द्र सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना अनिवार्य और समीचीन है, तो आदेश जारी करके, और कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करके ऐसे किसी भी वर्ग अथवा वर्ग से संबंधित व्यक्ति को इन नियमों के किसी भी प्रावधानों से शिथिल किया जा सकता है।

6. **व्यावृति.**—इन नियमों में निहित किसी भी बात से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक अथवा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों, और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को प्रदान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतें प्रभावित नहीं होंगी।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान	चयन पद अथवा गैर-चयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
संयुक्त सुरक्षा आयुक्त, (नागर विमानन)	01 *(2013) (*कार्यभार के आधार पर घट-बढ़ हो सकती है)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	पे बैंड -4, 37,400 - 67,000 रुपए ग्रेड पे 10,000 रुपए	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और अन्य शैक्षणिक अर्हता प्रोन्नतियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा का समय, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा और/विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तिप्रतिशत यों का
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, किसी ग्रेड से प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां जिसमें भर्ती के लिए यूपीएससी से संपर्क किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
<u>प्रतिनियुक्ति:</u> केन्द्र सरकार के अधिकारी (जिनमें केन्द्रीय पुलिस संगठन के अधिकारी तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी भी शामिल हैं) जो - (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारक हैं; अथवा	मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा	भर्ती नियमों में किसी प्रकार की छूट या संशोधन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में 8900/-रु. ग्रेड वेतन सहित 37,400 - 67,000/-रु. के वेतनमान में पे बैंड-4 या समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात प्रदान किए गए ग्रेड में 2 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों तथा (ख) नीति निर्माण तथा उसकी मॉनीटरिंग सहित सुरक्षा पहलुओं संबंधी कार्यों में दस वर्ष का अनुभव रखते हों। नोट 1: इस नियुक्ति से तत्काल पहले इसी या अथवा केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि समान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को, 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 3 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन से, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 या (वह तिथि जिसके छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है) से पहले नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा के उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए तद्रूपी ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा। सिवाय ऐसे मामलों के, जहां एक से अधिक संशोधन पूर्व वेतनमान का विलय एक साझे ग्रेड वेतन या वेतनमान में कर दिया गया हो, और जहां यह लाभ उसी पद के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी स्तरोन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापित ग्रेड होगा।		

[सं.-ए-12018/9/2009-प्रशा.]

डॉ. शैफाली जुनेजा, निदेशक

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2013

G.S.R. 613(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Joint Commissioner of Security (Civil Aviation) in the Ministry of Civil Aviation Security (Bureau of Civil Aviation Security), namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Civil Aviation (Bureau of Civil Aviation Security) Joint Commissioner of Security (Civil Aviation) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Joint Commissioner of Security (Civil Aviation)	01 *(2013) (*Subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-ministerial	Pay Band – 4, Rs. 37,400-67,000 plus grade pay of Rs. 10,000	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of the Central Government (including officers of the Central Police Organisation and officers borne to Indian Police Service)-: (A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two year's service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-4, Rs.37,400-67,000 plus Grade Pay of Rs. 8900 or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing ten years of service in dealing with security aspects including framing of policy and its monitoring. **Note 1 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 2 :** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3 :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay in to one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	By appointment Committee of Cabinet.	Union Public Service Commission shall be consulted while making any relaxation or amendment of the provisions of the recruitment rules.

[No. A-12018/9/2009-Admn.]
Dr. SHEFALI JUNEJA, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.